

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर में गठित समितियों/मंडलों/कार्य समूहों/ कार्य बलों का विवरण**

समिति/मण्डल/कार्यकारी समूहों/कार्य बलों के नाम	संरचना		टिप्पणियां	
	संपर्क अधिकारी	वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन		
1 अ.जा/अ.ज.जा. प्रकोष्ठ	संपर्क अधिकारी	वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन	-	
	सदस्य	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (अ.जा./अ.ज.जा.)		
		सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (अ.जा./अ.ज.जा.)		
2 आपदा प्रबंधन समिति	सदस्य	1- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)	-	
		2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन (लेखापरीक्षा-I)		
		3- कल्याण अधिकारी (लेखापरीक्षा-I)		
		4- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/जी.डी.-I (लेखापरीक्षा-I)		
3 कार्यरत महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु समिति	अध्यक्षा	श्रीमती मीना कुमारी मीणा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर फोन.नं. 0141-2385237	-	
	सदस्य/सदस्या	श्री संजीव कुमार सुराणा, उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-III), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान जयपुर फोन.नं. 0141-2385223		
		सुश्री शबनम, सामाजिक कार्यकर्ता, (विशाखा महिला शिक्षा एवं शोध समिति)		
4 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार मण्डल	चेयरमैन/अध्यक्ष	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर	-	
	बाह्य सदस्य	<b>सदस्य का नाम</b>		<b>अनुभव का क्षेत्र</b>
		1- श्री राजेन्द्र भानावत		सेवानिवृत्त आई.ए.एस
		2- डॉ एस. के. भण्डारी		चिकित्सा
		3- डॉ नागेन्द्र नागपाल		शिक्षा
		4- श्री दीपक जैन		चार्टर्ड अकाउंटेंट
		5- श्री डी.पी. यादव		सेवानिवृत्त आई.ए.&ए.एस.
		6- सुश्री प्रियंका सिंह		सामाजिक क्षेत्र
	सदस्य	1- महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान जयपुर		
2- श्री तेग सिंह, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-I) (लेखापरीक्षा-I)				

	समिति/मण्डल/कार्यकारी समूहों/कार्य बलों के नाम	संरचना		टिप्पणियां	
			3- श्री महेन्द्र ताम्बी, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-II) (लेखापरीक्षा-II) 4- श्री अमित कुमार, उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-III) (लेखापरीक्षा-I) 5- श्री संजीव कुमार सुराणा, उपमहालेखाकार (ए.एम.जी.-III) (लेखापरीक्षा-II)		
5	लेखापरीक्षा नियोजन समूह	पदेन सचिव	श्रीमती मीना कुमारी मीणा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)	-	
		चेयरमैन/अध्यक्ष	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर		
		विशेष आगुंतक	(i) महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान जयपुर (ii) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान जयपुर		
6	लेखापरीक्षा में उपलब्ध वीएलसी/आईएफएमएस डाटा में इसकी अनुकूलता का सुझाव देने के लिए समन्वय समिति में नामित सदस्य	सदस्य	(i) उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-IV, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर एवं एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ii) उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-III, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर एवं एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (iii) वरि. उपमहालेखाकार/ लेखा, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर एवं एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं आईएफएमएस से सम्बन्धित दो सहायक लेखा अधिकारी	-	

	समिति/मण्डल/कार्यकारी समूहों/कार्य बलों के नाम	संरचना		टिप्पणियां
7	प्राकृतिक संसाधन लेखांकन कार्य हेतु राज्य सरकार एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित प्राकृतिक संसाधन लेखांकन प्रकोष्ठ हेतु इस कार्यालय से नामित सदस्य	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) श्री तेग सिंह, वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-I</li> <li>(ii) श्री मुकेश सिंघल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-I</li> <li>(iii) श्री राजन भाटिया, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-III</li> <li>(iv) श्री सतीश चन्द रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-IV</li> <li>(v) श्री रवि यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-I</li> </ul>	-
7	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर के जीएसटी पर समन्वय समिति	सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद</li> <li>2. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर</li> <li>3. निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद, शाखा कार्यालय, जयपुर</li> <li>4. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-IV (जीएसटी प्रभारी), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर</li> <li>5. महा निदेशक (आरटीआई), जयपुर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में</li> </ul>	डीएआई (सीआरए) मुख्यालय कार्यालय के निर्देशों की अनुपालना में क्षेत्र स्तर के अनुभवों, ज्ञान एवं डाटाबेस को साझा करना तथा पुरानी कर व्यवस्था और जीएसटी के सम्बन्ध में दोनों कार्यालयों में समन्वय सुनिश्चित करना ।